

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/132774/LLP/LALITPUR/309/CFO

दिनांक: 29-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MLRP PUBLIC SCHOOL BY HARISHCHANDRA RAWAT** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **Part of Khasra No.-40Mi,42Mi,46Mi,38Mi,43Mi,44,VILLAGE-**

TARGUWAN,TALBEHAT तहसील - **TALBEHAT**, प्लॉट एरिया **10116.72 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1357.58** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MLRP PUBLIC SCHOOL BY HARISHCHANDRA RAWAT	2	0	08.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MLRP PUBLIC SCHOOL BY HARISHCHANDRA RAWAT** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **30-09-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **HARISHCHANDRA RAWAT,** **mlrpjhschool@gmail.com,8667391462** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-09-2024** से **30-09-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण

किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MLRP PUBLIC SCHOOL BY HARISHCHANDRA RAWAT** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MLRP PUBLIC SCHOOL BY HARISHCHANDRA RAWAT** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 30प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तदधीन नियमावली-2024, एनबीसी-2016 के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है 1-भवन स्वामी /अधिभोगी अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग को प्रेषित करेंगे। 2-फायर उपकरणों की वार्षिक ए.एम.सी./ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जायेगी। 3-विद्युत विभाग का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4-भवन के स्वरूप की वैद्यता, सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगी। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है या अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील दशा में पायी जाती है तो यह एन.ओ.सी. स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



निर्गत किये जाने का दिनांक
: 30-09-2024
स्थान : LALITPUR

Digitally Signed By
(MATLOOB HUSAIN)

[228BA66A3584EA40768D94894B9B63A106968714]

30-09-2024